कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 102 /12–1 देहरादून : :दिनांकः 15 जुलाई, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद अल्मोडा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.844 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online No FP/UK/ROAD/13914/2015)

सन्दर्भ :– भारत सरकार का पत्र सं0 –8बी0/यू0सी0पी/06/269/2015/एफ0सी0/1610 दिनांक–28.12.2017।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 3596/12–1(2) दिनांक 28.06.2025 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कर आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र.सं	अधिरोपित शर्ते	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	1– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.688 है0 ग्राम–झड़गांव एवं ओखलिय सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	**शर्त संख्याः1–** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.688 है0 ग्राम–झड़गांव एवं ओखलिया सिवित सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखा हेतु देय धनराशि रू0 19,47,616/–(रू0 उन्नीस लाख सैतालिस हजार छः सौ सोलह) मात्र तदर्थ कैम्पा कोष, मे जमा कर दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम–झड़गांव एवं ओखलिया 7.688 है0 भूमि के वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तण के आदेश की प्रति संलग्न है **(संलग्नक–01)** भूमि के नामान्तरण/हस्तान्तरण उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से प्राप्त अधिसूचना संबन्धी प्रस्ताव को नोडल कार्यालय के पत्र दिनांक 23.05.2025 को शासन से अधिसूचना निर्गत किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।
2	2– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं–5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	**शर्त संख्या 2–** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु 32,48,180/– (बत्तीस लाख अड़चालीस हजार एक सो अस्सी मात्र) की धनराशि जमा कर दी गयी है।
3	3– शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	**शर्त संख्या 3–** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नवीन दरों के अनुसार धनराशि 17,21,535/– (सतरह लाख इक्कीस हजार पाँच सौ पैत्तीस मात्र) की धनराशि इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cast, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर	**शर्त संख्या 4–**के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में

	online Generate कियें गए चालाय के माध्यम से उचित ऑनलाईन बैक में जमा किय जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगा।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 19,47,616/– (रू0 उन्नीस लाख सैतालिस हजार छः सौ सोलह मात्र) तथा एन0पी0वी0 हेतु 32,48,180/ (बत्तीस लाख अड़चालीस हजार एक सो अस्सी मात्र) की धनराशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष, मे जमा कर दिया है। **भारत सरकार के पत्र संख्या–5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 एवं पत्र संख्या–5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की पुनरीक्षित (नवीन) दरों के तहत रू0 17,21,535/– (सतरह लाख इक्कीस हजार पाँच सौ पैत्तीस मात्र) की अतिरिक्त धनराशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा कर दिया है। (संलग्नक–02)**
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर सड़क के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	**शर्त संख्या 5–** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर मार्ग के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–03)**
6	State Govt. will upload KML file of CA area matching with shape given in digital map uploaded at para 13, Part-II online.	**शर्त संख्या 6**–के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि CA की KML area आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
7	State Govt. will provide scheme for planting 1000 trees in lieu of 1.00 ha CA area out of total 7.688 ha proposed CA area falling in MDF as per guidelines dated 08.11.2017	**शर्त संख्या 6**–के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि 1.00 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण एरिया में 1000 वृक्षों की योजना प्रेषित की गई है। प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–04)**
8	State Govt. Will provide original hard copy of tree endmeration list.	नोडल कार्यालय के पत्रांक–2150/FP/UK/ROAD/13914/2015 दिनांक 27.01.2026 के द्वारा प्रस्ताव की मूल हार्ड कापी पूर्व में जमा की जा चुकी है, जिसकी प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।**(संलग्नक–05)**

अतः अनुरोध है कि प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्याः 102 / 12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, (पी.एम.जी.एस.वाई.) लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

प्रति संलग्न (90)

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक – 3596 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 28/06/2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड स्याल्दे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.844 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के संबंध में। (प्रस्ताव सं0–13914 / 2015)**

सन्दर्भ :– भारत सरकार की पत्र संख्या – 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 269 / 2015 / एफ0सी0 / 1610 / दि0 – 28.12.2017

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के संबंध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 6952 / 12–1, दिनांक–25.06.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– उक्तानुसार।

संख्या 38
पत्रावली 12-1
दिनांक 5-7-25

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभारी अल्मोड़ा
आ० का० कें०

5-7-25

अधि॰

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 6952 /12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 25/06/ 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड स्याल्दे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.844 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/13914/2015)**

सन्दर्भ :– **1. भारत सरकार, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 269 / 2015 / एफ0सी0 / 1610 दिनांक 28.12. 2017**

2. प्रमुख वन सरंक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1388 / 12–1 देहरादून दिनांक 08.10.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन सरंक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून के संदर्भित पत्र द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 08 शर्तो की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है :–

क्र0सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7. 688 है0 ग्राम–झड़गांव एवं ओखलिया सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्य के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.688 है0 ग्राम–झड़गांव एवं ओखलिया सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान दरों पर रु0 19,47,616.00 मात्र यू0आर0आर0डी0ए0 देहरादून द्वारा RTGS के माध्यम से जमा कर दी गई है। (छायाप्रति संलग्न)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007 – एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रु0 32,48,180.00 एवं रु0 17,21,535.00 कुल रु0 49,69,715.00 मात्र यू0आर0आर0 डी0ए0 देहरादून द्वारा RTGS के माध्यम से जमा कर दी गई है। (छायाप्रति संलग्न)
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है,तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।	वचनवद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cast, NPV etc.) को वैब	मुख्य अभियन्ता यू0आर0आर0डी0ए0 देहरादून के माध्यम से RTGS द्वारा

	पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए,अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	आनलाईन जमा कर दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न है)
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी, इस आशय का वचन ;वद्वता प्रेषित करनी होगी।	वचनवद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	State Govt. Will upload KML file of CA area matching with shape given in digital map uploaded at para-13,Part-II online.	आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
7	State Govt. Will provide scheme for planting 1000 trees in lieu of 1.00 ha CA area (out of total 7.688 ha proposed CA area) falling in MDF as per guidelines dated 08.11.2017.	1.00 ha CA area में 1000 वृक्षों की scheme उपलब्ध करा दी गई है।
8	State Govt. Will provide original hard copy of tree enumeration list.	हार्ड कापी पूर्व में जमा है, जिसकी प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोडा।

पत्रांक 6952 / 12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोडा।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0 सल्ट, (अल्मोड़ा)
Office: Jhimar (263676) E-mail: eepmgsysalt@rediffmail.com

पत्रांक 751/वनभूमि/3सी0/2024 दिनांक 25.12.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :— जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.844 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Proposal No. FP/UK/ROAD/13914/2015)

सन्दर्भ :— 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/269/2015/एफ0सी0/1610 दिनांक 28.12.2017
2. प्रमुख वन सरंक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1388/12—1 देहरादून दिनांक 08.10.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन सरंक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून के संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 08 शर्तो की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है :—

क्र0सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.688 है0 ग्राम—झड़गांव एवं ओखलिया सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्य के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.688 है0 ग्राम—झड़गांव एवं ओखलिया सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान दरों पर रु0 49,47,616.00 मात्र यू0आर0आर0डी0ए0 देहरादून द्वारा RTGS के माध्यम से जमा कर दी गई है। (छायाप्रति संलग्न)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3 /2007 — एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गयें आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रु0 32,48,180.00 एवं रु0 17,21,535.00 कुल रु0 49,69,715.00 मात्र यू0आर0आर0 डी0ए0 देहरादून द्वारा RTGS के माध्यम से जमा कर दी गई है। (छायाप्रति संलग्न)
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है,तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।	वचनवद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है।

CamScanner
CamScanner

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cast, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए,अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	मुख्य अभियन्ता यू0आर0आर0डी0ए0 देहरादून के माध्यम से RTGS द्वारा आनलाईन जमा कर दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न है)
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी, इस आशय का वचन वद्वता प्रेषित करनी होगी।	वचनवद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	State Govt. Will upload KML file of CA area matching with shape given in digital map uploaded at para-13,Part-II online.	आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
7	State Govt. Will provide scheme for planting 1000 trees in lieu of 1.00 ha CA area (out of total 7.688 ha proposed CA area) falling in MDF as per guidelines dated 08.11.2017.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा स्तर से दी जानी है।
8	State Govt. Will provide original hard copy of tree enumeration list.	हार्ड कापी पूर्व में जमा है, जिसकी प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

इसके अतिरिक्त ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार के वांछनानुसार सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त मार्गो पर हस्तान्तरित वन भूमि का गैजेट नोटिफिकेशन भी राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाना है, अतः इस सम्बन्ध में अपने स्तर गैजेट नोटिफिकेशन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(आशीष कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0 सल्ट (अल्मोड़ा)

पत्रांक __ /वनभूमि/3सी0/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– 1. संबंधित सहायक अभियन्ता, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री रवि शंकर मौर्या, कनिष्ठ अभियन्ता, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,(पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0, सल्ट, अल्मोड़ा।

CamScanner

संलग्नक- 01

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)
लोक निर्माण विभाग, सल्ट, अल्मोड़ा

Office: Jhimar (263676) E-mail: eepmgsysalt@rediffmail.com

पत्रांक 484/ वनभूमि / 19 सी0 / 2024 दिनांक 02.09.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–8 के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.844 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/13914/2015)

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 269 / 2015 / एफ0सी0 / 1610 दिनांक 28.12.2017 एवं जिलाधिकारी अल्मोड़ा का पत्रांक संख्या: 5590 / ग्यारह–05 / 21–22 दिनांक 13.06.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत करना है कि जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.688 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र (CA) वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद संबंधित जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के संशोधित आदेश संख्या: 5590 / ग्यारह–05 / 2021–22 दिनांक 13.06.2024 द्वारा ग्राम ओखलिया में 2.500 है0 भूमि एवं ग्राम झड़गांव में 5.188 है0 भूमि कुल 7.688 है0 भूमि हस्तान्तरित कर दी गई है, आदेश की प्रति एवं खतौनी की छायाप्रति प्रमाणित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 108 / 19सी0 दिनांक 13.02.2024 द्वारा पूर्व में प्रेषित।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

ASHISH KUMAR SINGH
Digitally signed by ASHISH KUMAR SINGH
Date: 2024.09.02 16:32:23 +05'30'
(आशीष कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0 सल्ट (अल्मोड़ा)

पत्रांक / वनभूमि / 19 सी0 / 2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्री आशीष भैंतवाल, आर0ई0, निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0) लो0नि0वि0 सल्ट।
2. कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक), निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0) लो0नि0वि0 सल्ट।
3. श्री प्रेमपाल सिंह अमीन, निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0) लो0नि0वि0 सल्ट।

ASHISH KUMAR SINGH
Digitally signed by ASHISH KUMAR SINGH
Date: 2024.09.02 16:32:55 +05'30'
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0 सल्ट (अल्मोड़ा)

CamScanner

120
19 सी०
24/06/2024

संशोधित आदेश

कार्यालय आदेश संख्या 4157/ग्यारह–05/2021–22, दिनांक 05 अप्रैल,2022 द्वारा जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड स्याल्दे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी तक प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 3.844 है0 वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु राजस्व ग्राम–झड़गांव,राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कूपी तहसील–सल्ट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–20 की श्रेणी–9(3)ड़ "कृषि योग्य बंजर भूमि" (उत्तराखण्ड सरकार) के पैमायशी खेत नम्बर–430 रकवा 0.155 है0, खेत नं०–431 रकवा 0.456 है0, खेत नं०–432 रकवा 0.877 है0, खेत नं०–2321 रकवा 0.434 है0, खेत नं०–2323 रकवा 1.813 है0, खेत नं० 2325 मध्य रकवा 1.453 है०कुल 5.188 है० एवं खतौनी खाता संख्या–9 श्रेणी–10(4) के बंजर नाकाबिल आबाद(उत्तराखण्ड सरकार) के पैमाईश खेत नं०– 365 मध्ये–2.500 है० इस प्रकार **कुल– 7.688 हैक्टयर** सिविल भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे नामान्तरित किये जाने के स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रकरण में उप जिलाधिकारी, सल्ट खुमाड़ द्वारा पत्र संख्या 412/एस0टी0/2023–24, दिनांक 12 जून,2024 एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्र संख्या 332/19 सी0 दिनांक 10–06–2024 से अवगत कराया गया है कि देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कुल सिविल भूमि 7.688 है0 के सापेक्ष 5.188 है0 भूमि ग्राम झड़गांव एवं मे उपयुक्त पायी गयी है। शेष 2.500 है0 सिविल भूमि भूलवश ग्राम झड़गांव खाता संख्या 20 अंकित हो गया है, जिसे ग्राम ओखलिया खाता संख्या–9 के खेत नं०– 365 मध्ये–2.500 है0 संशोधित किया जाना है।

अतः उप जिलाधिकारी, सल्ट खुमाड़ एवं अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0), लो0नि0वि0, सल्ट (अल्मोड़ा) की आख्या के आधार पर इस कार्यालय द्वारा पारित आदेश संख्या 4157/ग्यारह–05/2021–22, दिनांक 05 अप्रैल,2022 में प्रस्तावित खाता संख्या–9 श्रेणी–10 (4) के पैमाईश खेत नं०–365 मध्ये–2.500 के स्थान पर आंशिक संशोधित किया जाता है कि "ग्राम ओखलिया, राजस्व उप निरीक्षक देवीखाल, तहसील सल्ट खुमाड के खाता संख्या–9 श्रेणी–10(4) के पैमाईश खेत नं०– 365 मध्ये–2.500 है0 भूमि पढ़ा जाय।"

उक्त सम्बन्ध में कार्यालय आदेश दिनांक 05 अप्रैल,2022 में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगें।

दिनांकः 12/06/2024

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या–5590 /ग्यारह– 05/2021–22, दिनांकः 13 जून,2024

प्रतिलिपिः निम्नाकिंतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
3– उप जिलाधिकारी, सल्ट खुमाड़, जनपद अल्मोड़ा।
4– तहसीलदार, सल्ट खुमाड़।
5– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई) लोक निर्माण विभाग, सल्ट।
6– वन क्षेत्राधिकारी, जौरासी वन क्षेत्र (अल्मोड़ा)।

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

छाया प्रति प्रमाणित

Assistant Engineer
Consttn. Divn. P.W.D.
Salt (Almora)

CamScanner

गैर जमींदारी विनाश खतौनी सद्धरण ग्राम मडगांव .... पटवारी क्षेत्र कूपी ....

तहसील व जिला अल्मोडा।

श्रेणी— 9(3ख)

खाता सख्या	खातेदार का नाम	फसली वर्ष	खेत नम्बर	रकवा (है0)	लगान	विवरण
20	कृषि योग्य बंजर		6	0.031		श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं० 4157/डि०एल० 05/2021-22 दिनांक 05 अप्रैल 2022 के क्रम में [illegible] ग्राम [illegible] तह० जिला [illegible] के नाम खतौनी खाता सं० 20 श्रेणी 9(3ख) कृषि योग्य बंजर भूमि [illegible] सरकार के बैनापखी खेत सं० 430 रकबा 0.355 है०, खेत सं० 431 रकबा 0.915 है० खेत सं० 472 रकबा [illegible] है० खेत सं० 2321 रकबा 0.434 है० खेत सं० 2323 रकबा 1.813 है० खेत सं० 2325 मध्ये रकबा 1.452 है० कुल 5.188 है० एवं खतौनी खाता सं० 9 श्रेणी 10(4) के [illegible] के बैनापखी खेत सं० 365 मध्ये 2.500 है० इस प्रकार कुल [illegible] 658 है० [illegible] भूमि को वन विभाग को कुल प्रतिपूरक रोपण हेतु हस्तांतरित की जाती है।
			7	0.045		ह० रा०नि० [illegible] 10-5-22
			10	0.935		श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के संशोधित आदेश सं० 5590/डि०एल० 05/2021-22 दिनांक 13 जून 2024 के क्रम में [illegible] अधिकारी [illegible] के प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित कुल चिन्हित भूमि 7.688 है० के सापेक्ष 5.188 है० भूमि ग्राम [illegible] में उपयुक्त पायी गयी है शेष 2.500 है० चिन्हित भूमि [illegible] ग्राम [illegible] के खतौनी खाता सं० 20 में [illegible] ग्राम [illegible] के खाता सं० 9 के खेत सं० 365 मध्ये 2.500 (है०) संशोधित किया गया है।
			↓	↓		ह० रा०नि० [illegible] 08-7-24
			2321	0.434		
			2323	1.813		
			2325	1.870		
			↓	↓		
			4185	0.020		
			4198	0.015		
			4210	0.010		
	योग →		240	30.399		

महोदय,

नकल मुताविक असल के तैयार की गयी।

छाया प्रति प्रमाणित

[signature]

Assistant [illegible]
Constr. Divn. P[illegible]
[illegible]

[signature] 08-7-24

रा०नि० उपनिरीक्षक
क्षेत्र – कूपी
तह० [illegible]

गैर ज०वि० खतौनी की नकल/उद्धरण

राजस्व ग्राम-ओरखाल्या, रा० उ०नि० क्षेत्र देवीखाल, तह०-सल्ट (अल्मोड़ा)

खाता सं०	नाम काश्तकार	खेत नं०	रकबा है० में	अन्य विवरण
09	उत्तराखण्ड सरकार (बंजर नाकाबिल आबाद) श्रेणी-10(4)	01	0.064	श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के कार्या० पत्रांक/आदेश सं०-5599/[illegible] दिनांक 13 जून 2024 के अनुपालन [illegible] खण्ड स्थापित में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत देवाल [illegible] मोटर मार्ग से प्रभावित होने वाली वन भूमि 7.688 है० के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व ग्राम ओरखाल्या के गैर ज०वि० खाता सं०- 09 श्रेणी 10(4) के अन्तर्गत खेत नं०- 365 मध्ये [illegible] है० भूमि वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण हेतु नामांतरित की जाती है।
		11	0.008	
		12	0.026	
		क्रमशः	क्रमशः	
		365	3.008	
		क्रमशः	क्रमशः	
		376	0.747	
		378	0.018	
		384	0.382	
योग		[illegible] खेत	11.485 है०	

ह० (अपठनीय)
रा०उ०नि० देवीखाल
दिनांक 27/06/24

महोदय, खतौनी उद्धरण सेवा में प्रस्तुत किया।

छाया प्रति प्रमाणित
ह० (अपठनीय)
Assistant Engineer
Consttn. Divn. P.W.D
Salt (Almora)

ह० (अपठनीय)
राजस्व उपनिरीक्षक/पटवारी क्षेत्र देवीखाल
तहसील–सल्ट (अल्मोड़ा)

संलग्नक-02

Sno	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
16	FP/UK/ROAD/10125/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10125/2015) Jourashi to Ghanyal Motor Road	ROAD101252015463	6110125463	06 Feb 2018	CA: 2713640/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 3198933/-, 0: 0/- 0: 0/- 0: 0/- 0: 0/- Total: 5912573/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 12 Apr 2018 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 13 Apr 2018 Transaction Date: 25 May 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/411512291216EWMX410125.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD101252015463)
17	FP/UK/ROAD/32804/2009 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/32804/2009) Jorashi Jalkhal MR	ROAD328042009393	6132804393	08 Jan 2016	CA: 4078645/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 7558950/-, 0: 0/- 0: 0/- 0: 0/- 0: 0/- Total: 11637595/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 28 Mar 2018 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 30 Mar 2018 Transaction Date: 21 Apr 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3112812281213EWVJGDEMANDNOTE.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD328042009393)
18	FP/UK/ROAD/13914/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/13914/2015) Deghat to Lalnagari Motor Road	ROAD139142015292	6113914292	28 Dec 2017	CA: 1947616/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 3248180/-, N/A: 0/- N/A: 0/- N/A: 0/- N/A: 0/- Total: 5195796/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 13 Feb 2018 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 20 Feb 2018 Transaction Date: 08 Mar 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/211101220121145IZPDfodemandletter.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD139142015292)

CS CamScanner

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/13914/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/13914/2015) Deghat to Lalnagari Motor Road	ROAD139142015516	6113914516	28 Dec 2017	CA: 0/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 0/-, Other Charges1: 0/-, Other Charges2: 0/-, Other Charges3: 0/-, Total: 1721535/-, Addl CA: 0/-, CAT: 0/-, Addl PA: 0/-, Additional NPV: 1721535/-	Paid	Fund Demand [illegible] Verified by Nodal Officer On: 20 Jun 2023 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 21 Jun 2023 Transaction Date: 23 Aug 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/200620231524482038_FPUKROAD139142015_User_Fund_Demanded_4T163.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD139142015516)
2	FP/UK/ROAD/13914/2015 (../viewrepoit.aspx?pid=FP/UK/ROAD/13914/2015) Deghat to Lalnagari Motor Road	ROAD139142015528	6113914528	28 Dec 2017	CA: 0/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 3248180/-, Additional NPV: 1721535/-, Other Charges2: 0/-, Other Charges3: 0/-, Total: 4969715/-, Addl CA: 0/-, CAT: 0/-, Addl PA: 0/-, Other Charges: 0/-	Paid	Not Done	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/030520231501273729_FPUKROAD139142015_User_Fund_Demanded_71F52.pc
3	FP/UK/ROAD/10294/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10294/2015) Manaldura to Nanankoti Motor Road	ROAD102942015517	6110294517	03 Nov 2015	CA: 0/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 940167/-, Other Charges1: 0/-, Other Charges2: 0/-, Other Charges3: 0/-, Total: 940167/-, Addl CA: 0/-, CAT: 0/-, Addl PA: 0/-, Other Charges: 0/-	Paid	Fund Demand [illegible] Verified by Nodal Officer On: 15 Feb 2023 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 12 Apr 2023 Transaction Date: 04 Jul 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/181120221301246792_FPUKROAD102942015_User_Fund_Demanded_15864.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD102942015517)
4	FP/UK/ROAD/32804/2009 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/32804/2009) Jorashi Jaikhal MR	ROAD328042009124	6132804124	08 Jan 2016	CA: 0/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 2848493/-, Other Charges1: 0/-, Other Charges2: 0/-, Other Charges3: 0/-, Total: 2848493/-, Addl CA: 0/-, CAT: 0/-, Addl PA: 0/-, Other Charges: 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 09 Dec 2022 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 16 Dec 2022 Transaction Date: 23 Dec 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/291020221157594014_FPUKROAD328042009_User_Fund_Demanded_847X2.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD328042009124)

CS CamScanner

CamScanner

संलग्नक-08

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.844 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 05 :– सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो, सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देखरेख में Strip Plantation की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0 सल्ट (अल्मोड़ा)

CamScanner

CamScanner

संलग्नक-04

जनपद अल्मोड़ा में देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची 7.00 मी0 चौड़ाई के अनुसार (13.650 किमी.)

क.सं.	ग्राम का नाम	प्रजाति	0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से ऊपर	योग
1.	चम्याड़ी तल्ली बेनाप	चीड़ हरा		6	10	12	1	1	–	–	–	–	30
2.	बसनल गॉव बेनाप	चीड़ हरा		2	2	2	1	–	–	–	–	–	7
3.	बसनल गॉव वन पंचायत	चीड़ हरा		55	45	14	7	–	–	–	–	–	121
		सिरस		1			–	–	–	–	–	–	1
4.	गैरसाल बेनाप	चीड़ हरा		3	2	1	–	–	–	–	–	–	6
5.	बोहरा गॉव चक लाल नगरी बेनाप	चीड़ हरा		–	1	–	1	–	–	–	–	–	2
6.	लालनगरी सिविल बेनाप	चीड़ हरा		56	39	41	20	7	7	7	–	–	177
7.	सेतु दुगा चक लालनगरी बेनाप	चीड़ हरा		1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
		सिरस		3	3	–	–	–	–	–	–	–	6
8.	राठाखाल्यू चक लालनगरी बेनाप	चीड़ हरा		33	2	–	–	–	–	–	–	–	35

815

(21)

CamScanner
CamScanner

9.	ओलियागांव ग्राम लालनगरी बेनाप	चीड़ हरा		1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
10.	पेटुली कोट वन पंचायत	चीड़ हरा		3	7	1	–	–	–	–	–	–	11
11.	आरक्षित वन कम्पाट, न0–3 लालनगरी	चीड़ हरा		–	–	–	1	–	3	2	–	–	6
	महायोग :–			164	113	71	31	8	10	9			406

निर्माण खण्ड
सल्ट (अल्मोड़ा)

उप वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र,

तहसीलदार स्याल्दे
जिला–अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

उप जिलाधिकारी स्याल्दे
जनपद –अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

CamScanner

जनपद अल्मोड़ा मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निमार्ण अन्तर्गत 1000 पौधो का पथ वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन

कं0 सं0	कार्य का विवरण	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
2.8	1000 पौध का रोपण कार्य (रोड साईड पथ वृक्षारोपण)				
2.8.1	प्रथम वर्ष–रोपण कार्य				
2.8.1.1	सर्वे एंव सीमांकन (1000मी0X5मी0X2 रो = 10000 वर्ग मी0)	प्रति है0	1	1453.00	1453.00
2.8.1.2	क्षेत्र की साधारण झाडी सफाई	प्रति है0	1	1259.00	1259.00
2.8.1.3	गड्डा खुदान कार्य (60x60x60 सेमी0)	प्रति गड्डा	1000	31.61	31610.00
2.8.1.4	गड्डे भरान हेतु गोबर खद कय मय ढुलान	प्रति गड्डा	1000	15.00	15000.00
2.8.1.5	खाद मिटटी मिलाकर गड्डा भरान (60X60X60 सेमी0)	प्रति गड्डा	1000	4.94	4940.00
2.8.1.6	9"x12" के बैग में 8 फिट ऊंची शोभाकार पौध का मूल्य 20 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित	प्रति पौध	1200	300.00	360000.00
2.8.1.7	ट्रक द्वारा बैग पौधों का ढुलान 9"x12" मय लदवाई उतरवाई 20 प्रतिशत क्षतिपुति सहित (औसतन 180 किमी0 दूरी से)	प्रति पौध	1200	0.51	110160.00
2.8.1.8	पौधों का सिरबोझ ढुलान 1.00 किमी (9"x12" साईज के बैग)	प्रति पौध	1200	11.11	13332.00
2.8.1.9	पौध रोपण मय थावलाबन्दी	प्रति पौध	1000	8.89	8890.00
2.8.1.10	50 प्रतिशत पौधों मे ट्री गार्ड मय दो कोट ग्रीन पेंट रंगाई एंव लिखाई कय करना बाजार मूल्य पर (साइज 7.5 फिट ऊँचाई X1.5 फिट व्यास न्यूनतम वनज 12.20 किग्रा0)	प्रति ट्री गार्ड	500	1500.00	750000.00
2.8.1.11	ट्री गार्ड ढुलान मय लोडिंग एंव अनलोडिंग	प्रति ट्री गार्ड	500	60.00	30000.00
2.8.1.12	ट्री गार्ड को सीमेंट कंक्रीट मे फिक्स करना (3नं0X10X10X30सेमी0) 4.5 घन मी0	घन मी0	4.5	7878.00	35451.00
2.8.1.13	पौधों की सिंचाई हेतु टैंकर व श्रमिक व्यय (अक्टूबर से मार्च तक 3 बार)	प्रति पौध	3000	30.00	90000.00
2.8.1.14	सुरक्षा हेतु चौकीदार 1.5 किमी0 में 1 चौकीदार (अगस्त से मार्च तक 8 माह)	प्रति किमी	8	8570.00	68560.00
2.8.1.15	साईन बोर्ड (3"x4") प्रति किमी0 में 2 संख्या	सं0	2	5000.00	10000.00
2.8.1.16	पौधों की निराई गुडाई मल्चिंग (3 बार)	प्रति पौध	3000	1.64	4920.00
	योग				1535575.00
2.8.1.17	मूल्यांकन एंव अभिलेखीकरण – 0.50 प्रतिशत	–		–	7677.88
2.8.1.18	श्रम कल्याण बीमा आदि कार्य – 1 प्रतिशत	–		–	15355.75
2.8.1.19	अन्य आकस्मिक व्यय – 3 प्रतिशत	–		–	46067.25
2.8.1.20	अनुरक्षण श्रमिक हट् निर्माण आदि व्यय	–	–	–	400000.00
	योग प्रथम वर्ष	–		–	2004675.88
2.8.2	द्वितीय वर्ष– अनुरक्षण कार्य				
कं0 सं0	कार्य का विवरण	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
2.8.2.1	देख–रेख व रख–रखाव 1.50 किमी0 में 1 श्रमिक रोपण वर्ष में 12 माह	प्रति किमी0	12	8570.00	102840.00
2.8.2.2	रोपण क्षेत्र मे रोपित पौधो की सिंचाई करना टैकर व श्रमिक व्यय (6 बार)	पौध	6000	30.00	180000.00
2.8.2.3	20 प्रतिशत पौधों का क्षतिपूर्ति रोपण पौधो की कीमत व ढुलान का व्यय विभागीय व रोपण वाचर द्वारा किया जायेगा	पौध	200	404.00	80800.00
	उप–योग				363646.00
2.8.2.4	मूल्यांकन एंव अभिलेखीकरण – 0.50 प्रतिशत	–		–	1818.23
2.8.2.5	श्रम कल्याण बीमा आदि कार्य–1 प्रतिशत	–		–	3636.46
2.8.2.6	अन्य आकस्मिक व्यय– 2 प्रतिशत	–		–	7272.92
	योग द्वितीय वर्ष	–		–	376373.61
				या	

CamScanner

2.8.3	तृतीय वर्ष– अनुरक्षण कार्य				
2.8.3.1	देख–रेख व रख–रखाव 1.50 किमी0 में 1 श्रमिक रोपण वर्ष में 12 माह	पौध	12	8570.00	102840.00
2.8.3.2	रोपण क्षेत्र मे रोपित पौधो की सिंचाई करना टैंकर व श्रमिक व्यय (6 बार)	पौध	6000	30.00	180000.00
	उप–योग				**282840.00**
2.8.3.3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीकरण –0.50 प्रतिशत	–		–	1414.20
2.8.3.4	श्रम कल्याण बीमा आदि कार्य– 1 प्रतिशत	–		–	2828.40
2.8.3.5	अन्य आकस्मिक व्यय– 2 प्रतिशत	–		–	5656.80
	योग तृतीय वर्ष				**292739.40**
2.8.4	चतुर्थ वर्ष– अनुरक्षण कार्य				
2.8.4.1	देख–रेख व रख–रखाव 1.50 किमी0 में 1 श्रमिक रोपण वर्ष में 12 माह	पौध	12	8570.00	102840.00
2.8.4.2	रोपण क्षेत्र मे रोपित पौधो की सिचाई करना टेंकर व श्रमिक व्यय (6 बार)	पौध	6000	30.00	180000.00
	उप–योग				**282840.00**
2.8.4.3	मूल्यांकन एंव अभिलेखीकरण – 0.50 प्रतिशत	–		–	1414.20
2.8.4.4	श्रम कल्याण बीमा आदि कार्य –1 प्रतिशत	–		–	2828.40
2.8.4.5	अन्य आकस्मिक व्यय – 2 प्रतिशत	–		–	5656.80
	योग चतुर्थ वर्ष				**292739.40**
2.8.5	पंचम वर्ष– अनुरक्षण कार्य				
2.8.5.1	देख–रेख व रख–रखाव 1.50 किमी0 में 1 श्रमिक रोपण वर्ष में 12 माह	पौध	12	8570.00	102840.00
2.8.5.2	रोपण क्षेत्र में रोपित पौधो की सिचाई करना टेंकर व श्रमिक व्यय (6 बार)	पौध	6000	30.00	180000.00
	उप–योग				**282840.00**
2.8.5.3	मूल्याकन एव अभिलेखीकरण – 0.50 प्रतिशत	–		–	1414.20
2.8.5.4	श्रम कल्याण बीमा आदि कार्य –1 प्रतिशत	–		–	2828.40
2.8.5.5	अन्य आकस्मिक व्यय – 2 प्रतिशत	–		–	5656.80
	योग पंचम वर्ष				**292739.40**
	व्यय सार				
2.8.1	प्रथम वर्ष– अग्रिम मृदा कार्य एंव वृक्षारोपण कार्य	–		–	2004675.88
2.8.2	द्वितीय वर्ष– अनुरक्षण कार्य	–		–	376373.61
2.8.3	तृतीय वर्ष– अनुरक्षण कार्य	–		–	292739.40
2.8.4	चतुर्थ वर्ष– अनुरक्षण कार्य	–		–	292739.40
2.8.5	पंचम वर्ष– अनुरक्षण कार्य	–		–	292739.40
	योग प्रथम, द्वितीय,तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ष	–		–	**3259267.69**

मा – – – 3259268.00

वन क्षेत्राधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

CamScanner

संलग्नक–05

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक–2150 FP/UK/ROAD/13914/2015 देहरादून:दिनांक: 27 जनवरी, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:– जनपद–अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज–8) के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.844 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(ऑनलाईन फाईल संख्या FP/UK/ROAD/13914/2015)

संदर्भ:– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–MISC/II/ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 06–11–2015.

महोदय,

भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुपालन में विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कापी की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न:–यथोपरि।

भवदीय,

25-01-2016

(मोनिष मल्लिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी।